

144
186

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल - 462004

क्रमांक एफ 8-4 / 2009 / आ.प्र. / एक,
भोपाल, दिनांक 01 अप्रृष्ट, 2009
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय:-निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति।

—0—

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा-33 के तहत राज्य शासन द्वारा सीधी भरती से भरे जाने वाले द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लोक सेवा एवं पदों में निःशक्तजनों के लिये कुल 6 प्रतिशत होरिजेण्टल आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह 6 प्रतिशत आरक्षण दृष्टि बाधित, अस्थि बाधित एवं श्रवण बाधितों के लिए 2-2 प्रतिशत बांटा गया है।

2/ राज्य शासन के ध्यान में यह लाया गया है कि रिक्त पदों की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग/विभिन्न विभागों/संस्थाओं द्वारा जो विज्ञापन जारी किए जाते हैं, उनमें निःशक्तजनों के पदों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया जाता है।

3/ अतः सर्व संबंधितों को निर्देशित किया जाता है कि सीधी भरती के लिए जब भी कोई विज्ञापन जारी करें, निःशक्तजनों के पदों का श्रेणीवार स्पष्ट उल्लेख किया जाए।

4/ यह भी निर्देशित किया जाता है कि निःशक्तजनों के पदों की पूर्ति हेतु विशेष भरती अभियान चलाया जा रहा है जिसकी समयसीमा इस विभाग के परिपत्र दिनांक 23 जुलाई, 2009 द्वारा दिनांक 30.06.2010 तक बढ़ाई गई है। अतः समस्त विभाग निःशक्तजनों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की समयसीमा में पूर्ति करना सुनिश्चित करें।



(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

.2..

पृ० क्रमांक एफ 8-4 / 2009 / आ०प्र० / एक
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक १५ अक्टूबर 2009

1. राज्यपाल के सचिव राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल ।
3. रजिस्ट्रार, जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल ।
5. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर ।
6. प्रमुख सचिव / सचिव, मान० मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
7. सचिव, म०प्र० लोकसेवा आयोग, इन्दौर ।
8. निज सचिव / निज सहायक, माननीय मंत्री / राज्यमंत्री म०प्र० भोपाल ।
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी / सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल ।
10. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, जबलपुर / इन्दौर / ग्वालियर.
11. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल ।
12. अध्यक्ष, म०प्र० व्यावसायिक परीक्षा मण्डल / माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल ।
13. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.
14. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
15. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, अधीक्षण / अभिलेख / पुस्तकालय ।
16. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, भोपाल ।
17. आयुक्त, निःशक्तजन, कम्युनिटी हॉल, टी०टी० नगर, भोपाल ।
18. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल ।
19. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों ।
की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(आर०के० गजभिये)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग